



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-26082026-275795
CG-RJ-E-26082026-275795

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4575]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 26, 2026/भाद्र 4, 1948

No. 4575]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 26, 2026/BHADRA 4, 1948

रेल मंत्रालय

[उत्तर पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

जयपुर, 25 अगस्त, 2026

का.आ. 4760(अ).— केन्द्रीय सरकार ने रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11वां) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है)।

राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प 26 (37) परि / रेलवे / भू.आ. /2021/ दिनांक 20.08.2026 के द्वारा जिला कलेक्टर, उदयपुर को मध्यस्थ अधिकारी के रूप में अनुशंसित किया गया है। अतः केंद्र सरकार, उपरोक्त अधिनियम की धारा 20च के खंड (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिनियम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (3) जिले के संबंध में राजस्थान राज्य में “उमरा में कोच रखरखाव सुविधाओं के विकास” एवं “उमरा से देबारी के बीच दोहरीकरण (लम्बाई 24.78 किमी.)” की विशेष रेल परियोजनाओं के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और संचालन के लोक प्रयोजन के लिए स्तम्भ (2) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन मध्यस्थ के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

सारणी

क्र. सं.	सक्षम प्राधिकारी	जिला	राज्य
1	2	3	4
1	जिला कलेक्टर, उदयपुर	उदयपुर	राजस्थान

[फा. सं. उ.प.रे./मुख्यालय/सं.व.नि./443599200-भाग-26]

विवेक सक्सेना, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Western Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Jaipur, the 25th August, 2026

S.O. 4760(E).— In exercise of the powers conferred by clause (6) of section 20 F of Railways (Amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (hereafter referred to as the said Act),

The Government of Rajasthan vide their letter No. प 26(37) परि / रेलवे / भू.आ. /2021/ dated 20.08.2026 has recommended the District Collector, Udaipur as Arbitrator. Therefore, the Central Government hereby appoints the arbitrator mentioned in column (2) of the Table below to perform the functions as such authority under the said Act, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the special railway projects of **“Development of Coach Maintenance Facilities at Umra”** and **“Doubling between Umra to Debari (Length 24.78 Km.)”** in the State of Rajasthan relating to District mentioned in Column (3) of the said Table for the purpose of execution, maintenance, management and operation.

TABLE

S. N.	Competent Authority	District	State
1	2	3	4
1	District Collector, Udaipur	Udaipur	Rajasthan

[F. No. NWR/HQ/S&C 443599200 Vol. XXVI]

VIVEK SAXENA, Chief Administrative Officer (Const)